जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :
सम्बद्धता विभाग,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

तार : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751-244228 (कार्यालय)
ई-मेल : E-mail : jiwajidcdc@gmail.com
Website :http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2023/10176 दिनांक : 10-10-2023

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध अशासकीय/अनुदानित/अल्पसंख्यक महाविद्यालय
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषयः- परिनियम 28/17 के अंतर्गत चयनित स्टाफ का कार्यपरिषद् से अनुमोदन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से संम्बद्ध समस्त अशासकीय महाविद्यालयों में परिनियम 28/17 के अंतर्गत नियुक्त चयनित स्टाफ का चयन दिनांक से छः माह के अन्तर्गत चयन समिति की अनुशंसाओं का कार्यपरिषद् से अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य है। किन्तु महाविद्यालय द्वारा 28/17 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया सम्पन्न कराकर नियुक्त चयन समिति की अनुशंसाओं/नियुक्त का अनुमोदन कार्यपरिषद् से कराये जाने में काफी विलम्ब किया जाता है एवं कई महाविद्यालयों द्वारा प्रकरण कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ही नहीं किये जाते है।

अतः उक्त संबंध में समस्त अशासकीय महाविद्यालयों को सूचना प्रेषित किया जाना उचित होगा कि, वे परिनियम 28/17 के अंतर्गत चयनित स्टाफ का कार्यपरिषद् का अनुमोदन छः माह के भीतर अनिवार्य रूप से करायें। यदि महाविद्यालय द्वारा चयनित स्टाफ का अनुमोदन छः माह के भीतर नहीं कराया जाता है। तो संबंधित महाविद्यालय की समस्त नियुक्तियाँ शून्य मानी जावेंगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय के स्वयं की होगी।

नोटः- चयन संबंधी समस्त कार्यवाही हेतु पत्र क्रमांक एफ/सम्बद्धता/2023/9744 दिनांक 31.07.2023 के साथ संलग्न परिनियम 28 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. श्री संजय बरथरिया, प्रभारी, आई. टी. सेल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

निदेशक,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

Disk:E-Tarun Shrivastava/All Letter's 2023-24/D.C.D.C./J.U